

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
(अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीछसीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 319/2023

वाद पत्र अ. धारा 88/53 आरटीए

1. साहबराम पुत्र हरिराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. बृजलाल पुत्र हरिराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुभाष पुत्र हरिराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. रामगोपाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. रामकुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)


--वादी

बनाम्

1. हरिराम पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मैना देवी पुत्री हरिराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. विमला पुत्री हरिराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. कृष्णा पुत्री हरिराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. रुक्मा पुत्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. विमला पुत्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

7. कमला पुत्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
8. अनिल कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति छिम्पा निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)
9. गुरबचन सिंह पुत्र राजाराम जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)
10. गुलाब कौर पत्नी लीलासिंह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)
11. निजसिंह पुत्र लीलासिंह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
12. जयनारायण पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)
13. प्रदीप कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
14. भीमसैन पुत्र बलराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
15. रामसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
16. विक्रमसिंह उर्फ बिकरसिंह पुत्र राजाराम जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)
17. विनोद कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति छिम्पा निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)
18. सन्तोष देवी पत्नी बलराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
19. सुरेन्द्र पुत्र बलराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
20. सोहनलाल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
21. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा संगरिया
22. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा हनुमानगढ़ टाउन
23. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया


 कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया



--प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक वादीगण व श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुद्दायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक डिक्री निम्नानुसार दी जाती है :-

1. वादी संख्या 1 साहबराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5 एन जी आर के खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072-75 प.न. 174/217 मु.न. 40 किला न. 9/0.253
2. वादी संख्या 2 बृजलाल के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5एनजीआर के खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072-75 प.न. 174/217 मु. न. 40 किला न. 20/0.253
3. वादी संख्या 3 सुभाष पुत्र हरिराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072-75 प.न. 174/217 मु. न. 40 किला न. 21/0.253
4. वादी संख्या 4 रामगोपाल पुत्र मनीराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5एनजीआर के खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072-75 प.न. 174/217 मु. न. 40 किला न. 22/0.253
5. वादी संख्या 5 राम कुमार पुत्र मनीराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5एनजीआर के खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072-75 प.न. 174/217 मु. न. 40 किला न. 19/0.253
6. वादी संख्या 4 रामगोपाल व वादी संख्या 5 रामकुमार के ब.हि.ब व कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5एनजीआर के खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072-75 प.न. 174/217 मु. न. 40 किला न. 8/0.253
7. वादी संख्या 1 साहबराम, वादी संख्या 2 बृजलाल 3 सुभाष 0.127 हैक्. ब.हि.ब तथा वादी संख्या 4 रामगोपाल व वादी संख्या 5 रामकुमार 0.126 हैक्. ब.हि.ब की कृषि भूमि चक 5एनजीआर के खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072-75 प.न. 174/217 मु. न. 40 किला न. 12/0.253
8. प्रतिवादी सं. 8 अनिल कुमार, प्रतिवादी सं. 17 विनोद कुमार पि. कृष्णलाल, प्रतिवादी सं. 13 प्रदीप कुमार पुत्र भागीरथ जाति छीम्पा निवासी नगराना ब.हि.ब. :- प. न. 174/217 मु.न. 40 का 2/0.126 मिन (उतर से दक्षिण पूर्व दिशा में) 3,4/0.506 कुल-0.632 हेक्.



1/2
कौशिक एवं

9. प्रतिवादी सं. 14 भीमसेन (0.1405है.), प्रतिवादी सं. 15 राम सिंह पि. गोपीराम (0.057है.), प्रतिवादी सं. 18 सन्तोष देवी पत्नि बलराम (0.112है.), प्रतिवादी सं. 19 सुरेन्द्र कुमार पि. बलराम (0.1405है.), प्रतिवादी सं. 20 सोहनलाल पि. गोपीराम (0.094है.) जाति जाट निवासी नगराना - प.न. 174/217 मु.न. 40 का कि.न. 1/0.253, 2/0.127 मिन (उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में), प.न. 173/217 मु.न. 41 का कि.न. 6/1/0.126, 6/2/0.038 गै.मु. रास्ता कुल- 0.544 हेक्.
10. प्रतिवादी सं. 9 गुरबचन सिंह, प्रतिवादी सं. 16 विक्रम सिंह उर्फ बीकर सिंह पि. राजाराम जाति तरखान निवासी नगराना ब.हि.ब. :- प.न. 174/217 मु.न. 40 का कि.न. 10,11/0.506 कुल-0.506 हेक्.
11. प्रतिवादी सं. 11 जन्व सिंह पुत्र लीला सिंह जाति तरखान निवासी नगराना:- प.न. 173/217 मु.न. 41 का कि.न. 15/1/0.215, 15/2/0.038 गै.मु. रास्ता कुल- 0.253 हेक्.
12. प्रतिवादी सं. 10 गुलाब कौर पत्नि लीला सिंह जाति तरखान निवासी नगराना:- प.न. 173/217 मु.न. 41 का कि.न. 14,17/0.506 कुल- 0.506 हेक्.
13. प्रतिवादी सं. 12 जयनारायण पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नगराना:- प.न. 173/217 मु.न. 41 का कि.न. 16/1/0.215, 16/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038 गै.मु. रास्ता कुल-0.759 हेक्.

अतः पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2025/4963 दिनांक 02.12.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्री दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

महापंचक कलक्टर एवं
अधिकारी

यह डिक्री बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.5.2024

को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



75
(जय कौशिक)
सहायक सिलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया